फर्द अहकाम

[नियम 26]

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी ,मालाखेड़ा जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी–सुश्री नवज्योति कंवरिया (R.A.S)

दावा संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
1/444	26.10.2020	25.11.2024

उनवान

1. जगदीश नाथ सपेरा पुत्र स्व0 श्री मुक्खा नाथ सपेरा जाति सपेरा निवासी सपेरा बास दादर तहसील मालाखेडा जिला अलवर।

––वादी

बनाम

1. मोमचन्द सपेरा पुत्र श्री हीरानाथ सपेरा निवासी सपेरा बास दादर तहसील मालाखेडा जिला अलवर।
2. लाखन सपेरा पुत्र श्री हीरानाथ सपेरा निवासी सपेरा बास दादर तहसील मालाखेडा जिला अलवर।
3. नेत्रपाल सपेरा पुत्र श्री हीरानाथ सपेरा निवासी सपेरा बास दादर तहसील मालाखेडा जिला अलवर।

––प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया। वाद का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1355 रकबा 0.38 है0, 1389 रकबा 0.23 है0, 1393 रकबा 0.28 है0 कुल किता 3 रकबा 0.89 है0 वाके ग्राम दादर तहसील मालाखेडा वादी की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी है। वादी उक्त आराजी से लगती हुई प्रतिवादीगण कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। वादी अपनी उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर अपने बूजुर्गान के समय से ही काबिज होकर कार्य काश्तकारी करता चला आ रहा है। वादी की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात के साथ लगती हुई अपनी आराजीयात की आड मे प्रतिवादीगण वादी की आराजी खसरा नम्बर 1355 रकबा 0.38 है0 से वादी को जबरन बेदखल कर उस पर निर्माण कार्य करने की जुस्तजू मे लगे हुये है। जिसका प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार किसी प्रकार नही है। प्रतिवादीगण वादी को उपरोक्त वर्णित आराजी मे कार्य काश्तकारी नही करने देते है तथा कृषि कार्य करने मे रूकावट व मजाहमत पैदा करते है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध तहसीलदार साहब मालाखेडा व श्रीमान पुलिस अधीक्षक अलवर के यहॉ भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये लेकिन उसके बावजूद भी प्रतिवादीगण अपनी हरकतो से बाज नही आ रहे है। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 30.04.2015 को वादी को यह धमकी दी गई कि वे वादी को उक्त वर्णित आराजीयात से बेदखल कर अपना कब्जा कर मौके पर निर्माण कार्य करेगें। यदि प्रतिवादीगण द्वारा दी गई धमकी को साकार रूप देते हुये वादी को उपरोक्त आराजीयात से जबरन बेदखल कर अपना कब्जा कर मौके पर निर्माण कार्य कर लिया तो वादी बर्बाद व तबाह हो जायेगा तथा वादी को नापूर्ति होने वाला नुकसान होगा। जिससे प्रतिवादीगण को बजर्ये हुक्मइम्तनाई दवामी पाबंद कराने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही है। वादी ने वाद प्रस्तुत कर बरखिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जाने का अनुतोष चाहा कि प्रतिवादीगण को बजर्ये हुक्मइम्तनाई दवामी पाबंद फरमाया जावे कि आराजी खसरा नम्बर 1355 रकबा 0.38 है0, 1389 रकबा 0.23 है0, 1393 रकबा 0.28 है0 कुल किता 3 रकबा 0.89 है0 वाके ग्राम दादर तहसील मालाखेडा पर वादी के कुल कार्य काश्तकारी करने मे कोई रूकावट व मजाहमत किसी प्रकार की पैदा नही करे तथा वादी की खातेदारी काश्तकारी की आराजी खसरा नम्बर 1355

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज0

कबा 0.38 है0 वाके ग्राम दादर से वादी को जबरन बेदखल कर कोई निर्माण कार्य किसी प्रकार का ही करे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण विजूद रजिस्टर्ड तलवी न्यायालय मे हाजिर नही होने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाकर प्रकरण मे साक्ष्य आदि लिये जाकर वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये वादी के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की मजाहमत नही करने एवं हुक्मइम्तनाई दवामी से प्रतिवादीगण को पाबंद करने का कथन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी ग्राम दादर सम्वत 2069–2075 खाता संख्या नया 157 मे वर्णित विवादित आराजी खसरा नम्बर 1355 रकबा 0.38 है0, 1389 रकबा 0.23 है0, 1393 रकबा 0.28 है0 कुल किता 3 रकबा 0.89 है0 वाके ग्राम दादर तहसील मालाखेडा के वादी खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नही है। वादी की खातेदारी आराजी के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत पैदा नही करने हेतु प्रतिवादीगण को हुक्मइम्तनाई दवामी से पाबंद किया जाना उचित है।

अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी बहक वादी स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण को बजर्ये हुक्मइम्तनाई दवामी पाबंद किया जाता है कि वादी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1355 रकबा 0.38 है0, 1389 रकबा 0.23 है0, 1393 रकबा 0.28 है0 कुल किता 3 रकबा 0.89 है0 वाके ग्राम दादर तहसील मालाखेडा मे किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करे, ना ही वादी के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी मे किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

(नवज्योति कंवरिया)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा

निर्णय आंज दिनांक 25.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नवज्योति कंवरिया)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०